नियम–130 के अन्तर्गत श्री केवल सिंह पठानिया (शाहपुर), श्री चंद्र शेखर (धर्मपुर) एवं श्री भवानी सिंह पठानिया (फतेहपुर) माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा के लिए टिप्पणी:

व्याख्यात्मक टिप्पणी

"प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन चर्चा करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वर्तमान सरकार ने 11 दिसम्बर, 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में अप्रत्याशित कर्जे का बोझ और कर्मचारियों तथा पेंशनर्ज के एरियर एवं मंहगाई भत्ते की 10 हज़ार करोड़ रूपये की देनदारी मिली। इसके अलावा नये खोले गये संस्थानों का लगभग 6 हज़ार करोड़ रूपये का दायित्व भी वर्तमान सरकार को मिला।

हमारी राज्य सरकार के अपने संसाधन सीमित होने की वजह से प्रदेश को खर्चा चलाने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। GST के लागू होने के बाद तो केंद्र पर निर्भरता और अधिक बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारे कर जो राज्य सरकार द्वारा लगाये जाते थे, GST में Subsume किए गए और राज्य के संसाधन और कम हो गए। हिमाचल को GST के लागू होने से बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी शुरू के पांच सालों (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक) में भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई और राज्य सरकार को इन पांच सालों में हुए नुकसान के बदले में 13178.34 करोड़ रूपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। परंतु 1 जुलाई 2022 से GST Compensation बंद हो गया जिसकी वज़ह से राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।

इसके अलावा राज्य सरकार के संसाधनों में कमी होने का दूसरा बड़ा कारण 15वें वित्त आयोग द्वारा Revenue Deficit Grant (RDG) में प्रथम वर्ष यानि कि 2021-22 की तुलना में आगामी वर्षों के लिए अनुशंसित (Recommend) की गई अपर्याप्त धनराशि है जिससे राज्य सरकार को वर्तमान में विपरीत वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। RDG का वित्त वर्ष–वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

(रूपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	**राशि**
2021-22	10249
2022-23	9377
2023-24	8058
2024-25	6258
2025-26	3257

इस प्रकार से RDG, जोकि हिमाचल प्रदेश जैसे Chronically Revenue Deficit राज्य के लिए Lifeline है, में वर्ष–वार निरंतर कमी हो रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए बाह्य सहायता परियोजनाओं (EAPs) के तहत की जाने वाली Funding पर भी Capping की गई है जो कि वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक सभी Projects (Already approved and new Projects) के लिए 6992.07 करोड़ रूपये है।

दूसरी तरफ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्ज पर किए जा रहे वेतन तथा पेंशन पर खर्च के साथ–साथ पूर्व सरकारों द्वारा लिए गये भारी–भरकम ऋण की अदायगी एवं ब्याज भुगतान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष में आई आपदा से राज्य सरकार पर खर्चे का बोझ और बढ़ गया जिससे राज्य सरकार के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है।

इस प्रकार से राज्य सरकार के अपने संसाधन सीमित होने के कारण, बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ गई है। परंतु भारत सरकार द्वारा ऋण पर एक सीमा निर्धारित की गई है जोकि GSDP का 3% है।

इस Net Ceiling के आधार पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिसम्बर 2024 तक 6217 करोड़ रूपये के ऋण बाजार से उठाने के लिए अधिकृत किया है जिसमें से अभी तक 3900 करोड़ रूपये के ऋण लिए जा चुके हैं और आगामी चार महीनों के लिए मात्र 2317 करोड़ रूपये की राशि बचती है।

इस प्रकार से वर्तमान सरकार को पूर्व की सरकार से विरासत में मिली भारी भरकम देनदारियों, केंद्र सरकार द्वारा GST लागू करने, RDG कम होने, EAP में Capping करने तथा ऋण सीमा निर्धारित होने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है और वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसे Routine के खर्च चलाने की भी राज्य के कोषागार को मुश्किल हो रही है।

यह स्थिति पूर्व की सरकारों में दूरदर्शिता की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। पिछली सरकार के द्वारा लिए गए अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण राज्य के कोष पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। इस वित्त वर्ष में HRTC को प्रदेश सरकार द्वारा

हर महीने 60 से 65 करोड़ रूपये देने पड़ रहे हैं, इस प्रकार से यदि आगामी महीनों में इतनी ही राशि दी जाए तो पूरे वित्त वर्ष में लगभग 750 करोड़ रूपये की राशि सिर्फ HRTC को ही देना पड़ेगी। इसी प्रकार से HPSEBL द्वारा इस वित्त वर्ष के लिए 2200 करोड़ रूपये की Roll Back Subsidy की राशि का आकलन किया गया है जो कि पिछले वित्त वर्ष में 933 करोड़ रूपये थी।

वर्तमान सरकार हर दृष्टि से यह प्रयास कर रही है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। Excise Policy में संशोधन, Milk Cess, Water Cess, Green Energy, अवैध खनन पर रोक इत्यादि अनेकों प्रयासों से सरकार द्वारा Revenue बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। परंतु राज्य सरकार पर इतनी देनदारियां है कि Revenue बढ़ाने के प्रयास भी कम पड़ रहे हैं। इसलिए सरकार को बहुत सारे क्षेत्रों में खर्चा घटाने के लिए Rationalization करना पड़ रहा है जो कि राज्य के हित के लिए आवश्यक है। कर्मचारियों और पेंशनर्ज के वित्तीय लाभ लम्बित है जिन्हें हमारी सरकार ने अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की थी कि इस वर्ष हर महीने थोड़ी–थोड़ी राशि जारी की जाए परंतु सचिवालय कर्मचारी संगठन के अनुरोध पर यह राशि जारी नहीं की गई। सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इतनी भारी–भरकम राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाए, इसलिए वित्तीय लाभ लम्बित करने पड़ रहे हैं।

अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 16वें वित्तायोग के समक्ष राज्य की वित्त स्थिति पर एक विस्तृत ज्ञापन पेश किया है और सरकार को उम्मीद है कि 16वें वित्तायोग द्वारा राज्य की वर्तमान वित्त स्थिति को ध्यान में रख कर राशि जारी करने की अनुशंसा की जाएगी।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा विधान सभा सत्र के दौरान दिनांक 29.08.2024 को सदन में दिए गए वक्तव्य के आधार पर सरकार द्वारा यह दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय मुख्यमन्त्री, मन्त्रीमण्डल के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों, मुख्यमन्त्री के समस्त सलाहकारों, कैबिनेट रैंक धारकों तथा बोर्ड व निगमों के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन (राजनैतिक नियुक्तिधारी) के वेतन व भत्ते दो माह तक विलम्बित किए जाएंगे। यह अपने आप में एक मिसाल है।

***